

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) - जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्‍नोई
2. प्रकरण संख्या : 3/2021 एवं 23/2021
3. उनवान : ग्राम पंचायत काचरोदा पंचायत समिति दूदू तहसील फुलेरा जिला जयपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

-निगरानीकार

बनाम

रूपाराम जाट पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट निवासी श्यामनगर काचरोदा पंचायत काचरोदा पंचायत समिति दूदू तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल निवासी बुगालियों की ढाणी हिरनोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

-विपक्षी/गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 28/11/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी निगरानीकार की ओर से।

**निर्णय**

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994**

इस न्यायालय में विचाराधीन निगरानी संख्या 3/2021 एवं 23/2021 दोनों पत्रावलियां पट्टा संख्या 33 के विरुद्ध दायर की गई हैं। उक्त दोनों पत्रावलियों का विवरण एक होने के कारण पत्रावलियों का साथ ही निर्णय पारित किया जा रहा है। निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी संख्या 1 ने पट्टा चाहने बाबत आवेदन वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध निगरानीकार को मुगालते में रखते हुये चारागाह भूमि में बने हुये पुराने मकानात का पट्टा आबादी भूमि में बताकर दिनांक 07/07/2017 को पट्टा संख्या 33 क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज जारी करवा लिया। कौरम बैठक में पटवार हल्का ने भी पत्रावलियों का अवलोकन किया व बने हुये मकानात आवेदनकर्ताओं के आबादी भूमि में होना बताया। चारागाह की भूमि जो गै०मु० आबादी के लगवा भूमि है। शिकायत पर गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा की गई पुष्टि द्वारा उक्त जारी पट्टा चारागाह भूमि में होना पाया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत/निगरानीकार ने कौरम के व विपक्षी संख्या 1 के विश्वास पर चूंकि मौके पर काफ़ी आबादी बसी हुई हैं और उक्त जारी पट्टा को आबादी में मानते हुये चूंकि यह चारागाह भूमि की सीमा से लगती हुई होने के कारण यह ध्यान नहीं रहा और उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 1 को जारी कर दिया गया। उक्त निगरानीधीन पट्टा सहवन से और आवेदनकर्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन व शपथपत्र पर विश्वास कर कौरम द्वारा भी इन तथ्यों पर विश्वास कर मौके आदि का अवलोकन कर चूंकि आबादी और चारागाह भूमि की सीमा पर उक्त मकानात होने के कारण आबादी में होना मानकर अपनी निरस्त वगैरह पेश की जिसके आधार पर उक्त पट्टा चारागाह भूमि में जारी हो गया। ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक पम्द/जाच/1021/1586 दिनांक 29/7/2021 के द्वारा उक्त विधि विरुद्ध पट्टों को निरस्त करने बाबत ग्राम पंचायत की ओर से निगरानीया प्रस्तुत कर जारी पट्टों को निरस्त करने की स्वीकृत प्रदान की हैं। विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अन्त में निवेदन किया है कि संकल्प संख्या 07 दिनांक 06/03/2017 की अनुमालना में पट्टा संख्या 33 दिनांक 07/07/2017 को जारी किया गया को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर  
(तृतीय) जयपुर

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टा संख्या 33 दिनांक 07/07/2017 मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये। गैर निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता श्री तेजाराम भंवरिया ने U.T. पेश की किन्तु वकालतनामा पेश नहीं किया।

अधिवक्ता निगरानीकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगरानीकार भी उपस्थित रहे। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध चारागाह भूमि में बने हुये पुराने मकानात का पट्टा आबादी भूमि में बताकर दिनांक 07/07/2017 को पट्टा संख्या 33 क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज का पट्टा ग्राम पंचायत काचरोदा से जारी करवा लिया। चारागाह की भूमि जो गै०मु० आबादी के लगवा भूमि है। शिकायत पर गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा की गई पुष्टि द्वारा उक्त जारी पट्टा चारागाह भूमि में होना पाया। आबादी और चारागाह भूमि की सीमा पर उक्त मकानात होने के कारण आबादी में होना मानकर रिपोर्ट वगैरह पेश की जिसके आधार पर उक्त पट्टा चारागाह भूमि में जारी हो गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू के द्वारा दिनांक 29/7/2021 को विधि विरुद्ध पट्टों को निरस्त करने बाबत ग्राम पंचायत की ओर से निगरानीयां प्रस्तुत कर जारी पट्टों को निरस्त कराने की स्वीकृत प्रदान की हैं। विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का विन्दु लागू नहीं होता है। अतः संकल्प संख्या 07 दिनांक 06/03/2017 की अनुपालना में पट्टा संख्या 33 दिनांक 07/07/2017 को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। तहसीलदार फुलेरा मु० सांभरलेक की रिपोर्ट 4398 दिनांक 17.06.2021 द्वारा निगरानीधीन पट्टे की जांच कराकर मय मौका रिपोर्ट पंचायत समिति दूदू को प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार निगरानीधीन पट्टा चारागाह भूमि में जारी होना पाया गया। ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा भूमि चिन्हीकरण/भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण भूमि किस का निर्धारण नहीं हो पाने से निगरानीधीन पट्टा आबादी भूमि में जारी ना होकर चारागाह भूमि में जारी हो गया। सीमाज्ञान पश्चात विवादित पट्टा चारागाह भूमि में जारी होने का तथ्य स्पष्ट हुआ। चूंकि पट्टा आबादी भूमि में जारी नहीं हुआ अपितु चारागाह भूमि में जारी होने से हस्तगत प्रकरण में पंचायती राज अधिनियम के विनिर्दिष्ट नियमों का स्पष्टतया उल्लंघन हुआ है। नियम 140 के विरुद्ध ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर चारागाह भूमि में पट्टा जारी कर दिया गया, जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है जिस पर मियाद का विन्दु लागू नहीं होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर संकल्प संख्या 07 दिनांक 06/03/2017 की अनुपालना में ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 07/07/2017 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तस्वीब दाखिल दर्भार हो।

(कुन्ताल विश्वादी)

अति जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट (सूचीय)  
जयपुर